

परियोजना का नाम-

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड इ.प.सि. परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मुष्करावली गंगेवा हे० आरक्षित वन भूमि 133 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि हे० अर्थात् कुल 133 हे० वन भूमि का अर्ध क्षेत्र लो० नि० वि० अ० प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील इ.प.सि.) की दिनांक 11.12.17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री नैनीताल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री नैनीताल उपजिलाधिकारी इ.प.सि. अध्यक्ष
2. श्री नैनीताल उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल सदस्य
3. श्री इ.प.सि. सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
4. श्री इ.प.सि. बी.डी.सी. क्षेत्र इ.प.सि. सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 133 हे० वन भूमि अर्ध क्षेत्र लो० नि० वि० अ० प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..

कमश: 2पर



परियोजना के निर्माण हेतु 10.34 हे० वनभूमि ~~आवारा जंगल क्षेत्र~~ प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

11/12/2019  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील- ~~चारी~~  
जनपद- नैनीताल

प्रतिलिपि-- जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/12/2019  
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील- ~~चारी~~  
जनपद- नैनीताल।



परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण  
तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.33 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सायम भूमि 1.33 हे०, वन पंचायत भूमि 1.33 हे० अर्थात् कुल 1.33 हे० वन भूमि का महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावाहित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण द्वारा दिनांक 11.11.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किराी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.33 हे० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/ महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

ग्राम पंचायत महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण  
विकास अधिकारी, धारी [नैनीताल]  
ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत महलाकिगांव - राजा नरसिंह - नरगुण  
नोट: यदि किसी (गैर आदिवासी) अथवा किराी के निजी भूमि आवेदित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



प्रपत्र-23.1

दिनांक 11.12.16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

महोदय निवासी राजस्थान नंदगढ़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नन्दकिशोर	नन्दकिशोर
2	जजिन्द जीठी	जजिन्द जीठी
3	जजिन्द जीठी	जजिन्द जीठी
4	वेद प्रताप	वेद प्रताप
5	रमेश जीठी	रमेश जीठी
6	मदन जीठी	मदन जीठी
7	मदन जीठी	मदन जीठी
8	अलीदत्त	अलीदत्त
9	वेद प्रताप	वेद प्रताप
10	मजिन्द जीठी	मजिन्द जीठी
11	नरेश जीठी	नरेश जीठी
12	रमेश जीठी	रमेश जीठी
13	मदन जीठी	मदन जीठी
14	मदन जीठी	मदन जीठी
15	मदन जीठी	मदन जीठी
16	मदन जीठी	मदन जीठी
17	मदन जीठी	मदन जीठी
18	मदन जीठी	मदन जीठी
19	मदन जीठी	मदन जीठी
20	मदन जीठी	मदन जीठी
21	मदन जीठी	मदन जीठी
22	मदन जीठी	मदन जीठी
23	मदन जीठी	मदन जीठी
24	मदन जीठी	मदन जीठी
25	मदन जीठी	मदन जीठी
26	मदन जीठी	मदन जीठी
27	मदन जीठी	मदन जीठी
28	मदन जीठी	मदन जीठी
29	मदन जीठी	मदन जीठी
30	मदन जीठी	मदन जीठी

ग्राम पंचायत महोदय निवासी  
विकास बन्द, राजस्थान

जिला-नंदगढ़ (उत्तराखण्ड)

ग्राम पंचायत महोदय निवासी  
विकास बन्द, राजस्थान



शक्तिमान् ७८७-७८३ १०६

Form - 1

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector: Nainital

No. ०१/१२००.

Date ११/१२/१०

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

विशेष (२)

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.33 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District falls within Jurisdiction of Nadgal Village in Dhari Tehsil.**

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **1.33 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 to .....annexure.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

शक्तिमान् कल्याण अधिकारी  
नैनीताल,

Signature  
(Full name of the official seal of the District collector)


जिलाधिकारी  
नैनीताल.



**It is further certified that**

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire <b>1.33 hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to .....annexure.	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

  
जिलाधिकारी  
मेरीताल,

  
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
मेरीताल.



**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT NAINITAL (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006**

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Deepak Rawat I.A.S.** Deputy Commissioner. Nainital on date 7.15/2016 at time 2.10 PM at Nainital in Which application claiming rights of national area measuring **1.33 hect.** for **Construction of Motor Road Connecting to Nadgal Village under C.M. Village connectivity Scheme in Nainital District Uttarakhand.** Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

बिना वनाय वनाय वनिकार  
नैनीताल.

Dated:

Deputy Commissioner-cum-Chairmen  
District Level Committee.

जिलाधिकारी  
नैनीताल.